

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

①

न०
422

तारीख दायरा
19.07.2022

तारीख फैसला
25.1.23

पीठासीन अधिकारी - हरबिन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)
ज्ञाना बाई उर्फ ज्याना बाई पत्नी स्व० बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ऐबरा तहसील दीगोद
(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :- श्री छितरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

-: निर्णय :-

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 33 नया, पुराना 31 पर खसरा नम्बर 193/453 की 0.50 है०, 194 की 2.28 है०, 196/432 की 0.22 है०, 209 की 0.97 है०, 235 की 2.06 है०, 313 की 1.15 है०, 315 की 2.41 है०, 330 की 1.08 है०, 343 की 0.50 है०, 346 की 0.31 है०, 359/452 की 0.29 है०, 363 की 0.71 है०, 368 की 0.22 है०, 386 की 0.85 है०, 43 की 1.40 है०, 73 की 0.50 है० कुल कित्ता 16 की 15.45 है० भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी सहखातेदार दर्ज है। यह कि पूर्व में उपरोक्त भूमि वादनी के पति बजरंगलाल जी के खाते दर्ज थी उनकी मृत्यु उपरान्त वादनी, उसके पुत्र पुत्रियों के नाम दर्ज हुई जिसमें वादनी का नाम ज्यानाबाई दर्ज हो गया है। जब कि वादनी का नाम ज्ञाना बाई है। तथा वादनी के दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि में भी ज्ञाना बाई दर्ज है इस कारण राजस्व रिकार्ड में ज्यानाबाई के ज्यानाबाई उर्फ ज्ञाना बाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमियों में पति का इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से सही नाम न दर्ज कर गलत नाम दर्ज कर दिया है जिसके कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। वर्तमान में भी वादनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। यह कि उपरोक्त कारण से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में ज्याना बाई के स्थान पर ज्ञाना बाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बंध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 22.06.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना

हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

यक हो गया है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी के उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम
जा बाई के स्थान पर ज्याना बाई दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 22.06.2022 को वादनी का
राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड
होने से उसे वाद बहसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद में वादनी व अन्य
सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 33 नया, पुराना 31 पर खसरा नम्बर 193/453 की 0.50 है0, 194
की 2.28 है0, 196/432 की 0.22 है0, 209 की 0.97 है0, 235 की 2.06 है0, 313 की 1.15 है0, 315 की
2.41 है0, 330 की 1.08 है0, 343 की 0.50 है0, 346 की 0.31 है0, 359/452 की 0.29 है0, 363 की 0.71
है0, 368 की 0.22 है0, 386 की 0.85 है0, 43 की 1.40 है0, 73 की 0.50 है0 कुल किता 16 की 15.45 है0
भूमि में वादनी का नाम ज्याना बाई के स्थान पर ज्याना बाई उर्फ ज्ञाना बाई दर्ज किये जाने व राजस्व
रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी।
प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।
तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में ग्राम ऐबरा की उक्त भूमि कुल किता 16 रकबा 15.45 है0 के
राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ज्याना बाई पत्नि स्व0 बजरंग लाल के स्थान पर ज्याना बाई उर्फ ज्ञाना
बाई पत्नि स्व0 बजरंग लाल दर्ज किये जाने किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का
अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद में वादनी व अन्य
सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 33 नया, पुराना 31 पर खसरा नम्बर 193/453 की 0.50 है0, 194
की 2.28 है0, 196/432 की 0.22 है0, 209 की 0.97 है0, 235 की 2.06 है0, 313 की 1.15 है0, 315 की
2.41 है0, 330 की 1.08 है0, 343 की 0.50 है0, 346 की 0.31 है0, 359/452 की 0.29 है0, 363 की 0.71
है0, 368 की 0.22 है0, 386 की 0.85 है0, 43 की 1.40 है0, 73 की 0.50 है0 कुल किता 16 की 15.45 है0
भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ज्याना बाई पत्नि स्व0 बजरंग लाल के स्थान पर ज्याना बाई
उर्फ ज्ञाना बाई पत्नि स्व0 बजरंग लाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश
दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

ठासीन अधिकारी - हरबिन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)

ज्ञाना बाई उर्फ ज्याना बाई पत्नी स्व० बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ऐबरा तहसील दीगोद
(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :- श्री छितरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते नम्बर 33 नया, पुराना 31 पर खसरा नम्बर 193/453 की 0.50 है०, 194 की 2.28 है०, 196/432 की 0.22 है०, 209 की 0.97 है०, 235 की 2.06 है०, 313 की 1.15 है०, 315 की 2.41 है०, 330 की 1.08 है०, 343 की 0.50 है०, 346 की 0.31 है०, 359/452 की 0.29 है०, 363 की 0.71 है०, 368 की 0.22 है०, 386 की 0.85 है०, 43 की 1.40 है०, 73 की 0.50 है० कुल किता 16 की 15.45 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ज्याना बाई पत्नि स्व० बजरंग लाल के स्थान पर ज्याना बाई उर्फ ज्ञाना बाई पत्नि स्व० बजरंग लाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाँप अर्जी दावा			स्टाँप अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाँप वकालतनाम	0	0	स्टाँप अर्जी	0	0
स्टाँप वजूह सबूत	0	0	स्टाँप अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगें।

हरबिन्दर डी. सिंह
सहायक कलक्टर
दीगोद